बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000

धाराओं का क्रम

धाराएं

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।

भाग 2

बिहार राज्य का पुनर्गठन

3. झारखंड राज्य का बनाया जाना।
4. बिहार राज्य और उसके प्रादेशिक खंड।
5. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।
6. राज्य सरकारों की व्यावृत्ति शक्तियां।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

7. संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन।
8. आसीन सदस्यों का आबंटन।

लोक सभा

9. लोक सभा में प्रतिनिधित्व।
10. संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
11. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।

विधान सभा

12. विधान सभाओं के बारे में उपबंध।
13. आसीन सदस्यों का आबंटन।
14. विधान सभाओं की अवधि।
15. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
16. प्रक्रिया के नियम।

बिहार की विधान परिषद्

17. बिहार की विधान परिषद्।
18. परिषद् निर्वाचन क्षेत्र।
19. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।
20. सभापति और उप सभापति।

भाग ...

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

21. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
22. परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

23. अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन।
24. अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन।

भाग 4

उच्च न्यायालय

25. झारखंड उच्च न्यायालय।
26. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
27. उच्च न्यायालय की अधिकारिता।
28. विधिज्ञ परिषद और अधिवक्ताओं के संबंध में विशेष उपबंध।
29. उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया।
30. उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा।
31. रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्ररूप।
32. न्यायाधीशों की शक्तियां।
33. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया।
34. पटना उच्च न्यायालय से झारखंड उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों का अंतरण।
35. झारखंड उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने या कार्यवाही करने का अधिकार।
36. निर्वचन।
37. व्यावृत्ति।

भाग 5

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

38. झारखंड राज्य के व्यय का प्राधिकृत किया जाना।
39. बिहार राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें।
40. राजस्व का वितरण।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

41. भाग का लागू होना।
42. भूमि और माल।
43. खजाना और बैंक अतिशेष।
44. करों का बकाया।
45. उधार और अग्रिम को वसूल करने का अधिकार।
46. कतिपय निधियों में विनिधान और जमा।
47. राज्य उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व।
48. लोक ऋण।
49. प्लवमान ऋण।
50. आधिक्य में संगृहीत करों का वापस किया जाना।

धाराएं

51. निक्षेप, आदि।
52. भविष्य-निधि।
53. पेंशन।
54. संविदाएं।
55. अनुयोज्य दोष की बाबत दायित्व।
56. प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व।
57. उचंत मदें।
58. अवशिष्ट उपबंध।
59. आस्तियों या दायित्वों का करार द्वारा प्रभाजन।
60. कतिपय मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।
61. कतिपय व्यय का संचित निधि पर भारित किया जाना।

भाग 7

कतिपय निगमों के बारे में उपबन्ध

62. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य भांडागारण निगम और राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में उपबंध।
63. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के बारे में इंतजाम का बना रहना।
64. बिहार राज्य वित्त निगम के बारे में उपबंध।
65. कतिपय कंपनियों के बारे में उपबंध।
66. कानूनी निगमों के बारे में साधारण उपबंध।
67. कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध।
68. कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशेष उपबंध।
69. आय-कर के बारे में विशेष उपबंध।
70. कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना।

भाग 8

सेवाओं के बारे में उपबंध

71. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध।
72. बिहार और झारखंड में सेवाओं से संबंधित उपबंध।
73. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध।
74. अधिकारियों के उसी पद के बने रहने के बारे में उपबंध।
75. सलाहकार समितियां।
76. निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।
77. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध।

भाग 9

जल स्रोतों का प्रबंध और विकास

78. जल स्रोतों का विकास और प्रबंध।
79. प्रबंध बोर्ड का गठन और उसके कृत्य।
80. प्रबंध बोर्ड के कर्मचारिवृन्द।
81. बोर्ड की अधिकारिता।
82. विनियम बनाने की शक्ति।

भाग 10

विधिक और प्रकीर्ण उपबन्ध

83. 1956 के अधिनियम 37 का संशोधन।
84. विधियों के राज्यक्षेत्रीय विस्तार।
85. विधियों के अनुकूलन की शक्ति।
86. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति।
87. अनुषंगी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों आदि को नामित करने की शक्ति।
88. विधिक कार्यवाहियां।
89. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।
90. कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार।
91. अन्य विधियों से असंगत अधिनियम के उपबंधों का प्रभाव।
92. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

पहली अनुसूची।
दूसरी अनुसूची।
तीसरी अनुसूची।
चौथी अनुसूची।
पांचवीं अनुसूची।
छठी अनुसूची।
सातवीं अनुसूची।
आठवीं अनुसूची।
नौवीं अनुसूची।
दसवीं अनुसूची।

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000

[25 अगस्त, 2000]

(2000 का अधिनियम संख्यांक 30)

विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

भाग 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं।

(क) ''नियत दिन'' से वह दिन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) ''अनुच्छेद'' से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) ''सभा निर्वाचन-क्षेत्र'', ''परिषद् निर्वाचन क्षेत्र'' और ''संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र'' के वही अर्थ हैं जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में हैं; 1950 का 43

(घ) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "विद्यमान बिहार राज्य" से नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य अभिप्रेत है;

(च) "विधि" के अंतर्गत विद्यमान संपूर्ण बिहार राज्य या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत है;

(छ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है;

(ज) बिहार और झारखंड राज्यों के संबंध में, "जनसंख्या अनुपात" से 645.30 : 218.44 का अनुपात अभिप्रेत है;

(झ) संसद् के किसी सदन या विद्यमान बिहार राज्य के विधान-मंडल के संबंध में, "आसीन सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है;

(ञ) विद्यमान बिहार राज्य के संबंध में, "उत्तरवर्ती राज्य" से बिहार या झारखंड राज्य अभिप्रेत है;

(ट) "अंतरित राज्यक्षेत्र" से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो नियत दिन को विद्यमान बिहार राज्य से झारखंड राज्य को अंतरित किया गया है;

(ठ) "खजाना" के अंतर्गत उपखजाना भी है; और

(ड) विद्यमान बिहार राज्य के किसी जिले, तहसील या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नियत दिन को उस प्रादेशिक खंड में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।

भाग 2

बिहार राज्य का पुनर्गठन

झारखंड राज्य का बनाया जाना।

3. नियत दिन से ही, एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसका नाम झारखंड राज्य होगा जिसमें विद्यमान बिहार राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, अर्थात् :

बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहारदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहबगंज, सिंहभूम (पूर्व) और सिंहभूम (पश्चिम) जिले,

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान बिहार राज्य के भाग नहीं रहेंगे।

बिहार राज्य और उसके प्रादेशिक खंड।

4. नियत दिन से ही, बिहार राज्य में धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से भिन्न विद्यमान बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

5. नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के अंतर्गत,—

(क) बिहार राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं,";

(ख) प्रविष्टि 27 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"28. झारखंड : वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट है।"।

6. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह बिहार या झारखंड सरकार की नियत दिन के पश्चात् राज्य के किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करती है। राज्य सरकारों की व्यावृत्ति शक्तियां।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

7. नियत दिन से ही, संविधान की चौथी अनुसूची की सारणी में,— संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन।

(क) प्रविष्टि 4 से प्रविष्टि 29 तक को क्रमशः प्रविष्टि 5 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) प्रविष्टि 3 में, "22" अंकों के स्थान पर "16" अंक रखे जाएंगे;

(ग) प्रविष्टि 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"4. झारखंड . . . . 6"।

8. (1) नियत दिन से ही, विद्यमान बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के बाईस आसीन सदस्य, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में बिहार राज्य और झारखंड राज्य को आबंटित स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे। आसीन सदस्यों का आबंटन।

(2) आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

लोक सभा

9. नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती बिहार राज्य को 40 स्थान और उत्तरवर्ती झारखंड राज्य को 14 स्थान लोक सभा में आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची में शीर्षक "1. राज्य" के अधीन,— लोक सभा में प्रतिनिधित्व।

1950 का 43

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:

"4. बिहार 53.....7.....5.....40.....7";

(ख) प्रविष्टि 10 से 25 का क्रमशः प्रविष्टि 11 से 26 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 9 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"10. झारखंड. . . . 14 . . . . . . 1 . . . . 5"।

10. नियत दिन से ही, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निदेशित रूप में संशोधन किया जाएगा। संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

11. (1) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जो धारा 10 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना उत्तरवर्ती बिहार या झारखंड राज्य को आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ है। आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी।

विधान सभा

विधान सभाओं के स्थानों की संख्या। 12. (1) नियत दिन से ही, बिहार राज्य और झारखंड राज्य की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या क्रमशः दो सौ तैंतालीस और इक्यासी होगी।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "1. राज्य" में,—

(क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"4. बिहार . . . 318 . . . 45 . . . 29 . . . 243 . . . 39";

(ख) प्रविष्टियां 11 से 28 को क्रमशः 12 से 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"11. झारखंड . . . . 81 . . . . . 9 . . . . . 28"।

आसीन सदस्यों का आबंटन। 13. (1) उस निर्वाचन-क्षेत्र से, जो नियत दिन को धारा 10 के उपबंधों के आधार पर, उस सभा में परिवर्तन सहित या उसके बिना झारखंड राज्य को आबंटित हो गया है, उस सभा में स्थान भरने के लिए निर्वाचित विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस दिन से ही बिहार की विधान सभा का सदस्य नहीं रह गया है और उसे इस प्रकार आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से झारखंड की विधान सभा में स्थान भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

(2) विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के सभी अन्य आसीन सदस्य उस सभा के सदस्य बने रहेंगे और किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का जिसके विस्तार या नाम और विस्तार का धारा 10 के उपबंधों के आधार पर परिवर्तन हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले किसी आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र से बिहार की विधान सभा में निर्वाचित हो गया है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी बिहार और झारखंड की विधान सभाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे नियत दिन को सम्यक् रूप से गठित हुई हैं।

(4) विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के आसीन सदस्य के बारे में, जिसे अनुच्छेद 333 के अधीन आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सभा में नामनिर्देशित किया गया है, यह समझा जाएगा कि उसे उस अनुच्छेद के अधीन झारखंड विधान सभा में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

विधान सभाओं की अवधि। 14. अनुच्छेद 172 के खंड (1) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि बिहार राज्य या झारखंड राज्य की विधान सभा की दशा में उस तारीख को प्रारम्भ हुई समझी जाएगी जिसको वह विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा की दशा में वस्तुतः प्रारम्भ हुई है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 15. (1) वे व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उस दिन से ही उस सभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने रहेंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, झारखंड की विधान सभा, उस सभा के दो सदस्यों को क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब तक अध्यक्ष इस प्रकार चुना नहीं जाता तब तक अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन उस सभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

प्रक्रिया के नियम। 16. नियत दिन के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त बिहार की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम जब तक कि अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते, झारखंड की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए होंगे जो उसके अध्यक्ष द्वारा उनमें किए जाएं।

बिहार की विधान परिषद्

17. तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तारीख से ही बिहार की विधान परिषद् में पचहत्तर स्थान होंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की तृतीय अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:— बिहार की विधान परिषद्।

1950 का 43

"2. बिहार 75.... 24.....6.....6.....27.....12"।

18. नियत दिन से ही, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (बिहार) आदेश, 1951 चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा। परिषद् निर्वाचन क्षेत्र।

19. धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान बिहार राज्य की विधान परिषद् के सभी आसीन सदस्य उनकी वर्तमान पदावधि की समाप्ति पर उनके सेवानिवृत होने तक उस परिषद् के सदस्य बने रहेंगे। आसीन सदस्यों के लिए उपबंध।

20. वह व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उप-सभापति है, उस परिषद् का नियत दिन से ही यथास्थिति सभापति या उप-सभापति बना रहेगा। सभापति और उप-सभापति।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

21. (1) निर्वाचन आयोग, धारा 12 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित करेगा— निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों का ध्यान रखते हुए, क्रमशः बिहार और झारखंड राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या;

(ख) वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक का विस्तार और उसमें से प्रत्येक में वे स्थान जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे; और

(ग) प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं में समायोजन और उसके विस्तार का वर्णन, जो आवश्यक या समीचीन हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करते समय, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे;

(ख) सभी निर्वाचन क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय, उनकी भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखना होगा; और

(ग) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे पांच व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और वे ऐसे व्यक्ति होंगे जो उस राज्य की विधान सभा के या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य हों:

परन्तु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता
तब तक जो हो, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार भरा जाएगा।

(5) निर्वाचन आयोग—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं किसी ऐसे सह
सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता
राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और
ही एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और
आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात्
पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा, जो उसे इस प्रकार
तारीख से पहले प्राप्त हुए हों;

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और
विचार करने के पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों
अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा
प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे
न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन
यथाशीघ्र संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

(7) बिहार और झारखंड राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 1971
जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित की जाएगी।

परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति।

22. (1) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) धारा 21 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण संबंधी
या उसमें अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को
सकेगा;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या किन्हीं आदेशों में उल्लिखित
खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए, वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा
आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक
निकाली जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन।

23. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950,
निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन।

24. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950,
में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

भाग 4

उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय।

25. (1) नियत दिन से ही झारखंड राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय
(जिसे इसमें इसके पश्चात् "झारखंड उच्च न्यायालय" कहा गया है) और पटना
बिहार राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् पटना
कहा गया है)।

(2) झारखंड उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे
आदेश द्वारा, नियत करें।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी झारखंड उच्च न्यायालय
और खंड न्यायालय झारखंड राज्य में उसके प्रधान स्थान से भिन्न ऐसे अन्य
बैठ सकेंगे जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति झारखंड के राज्यपाल के अनुमोदन से नियत

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

26. (1) पटना उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो नियत दिन से
कर रहे हों और राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किए जाएं, उस दिन से पटना
न्यायाधीश नहीं रहेंगे और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

(2) वे व्यक्ति जो उपधारा (1) के कारण झारखंड उच्च न्यायालय
जाते हैं, उस दशा के सिवाय जहां ऐसा कोई व्यक्ति उस उच्च न्यायालय

नियुक्त हो जाता है, उस न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी अपनी नियुक्तियों की पूर्विकता के अनुसार रैंक धारण करेंगे।

27. झारखंड उच्च न्यायालय को, झारखंड राज्य में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग की बाबत, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त राज्यक्षेत्रों के उस भाग की बाबत पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थे।

1961 का 25 28. (1) नियत दिन से ही, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "जम्मू कश्मीर" शब्दों के पश्चात्, "झारखंड" शब्द रखा जाएगा।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान बिहार राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता है, नियत दिन से एक वर्ष के भीतर ऐसे विद्यमान राज्य की विधिज्ञ परिषद् को झारखंड विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अपने नाम को अंतरित किए जाने का लिखित में विकल्प दे सकेगा और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए
1961 का 25 नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार दिए गए ऐसे विकल्प पर उसका नाम झारखंड विधिज्ञ परिषद् की नामावली में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार दिए गए विकल्प की तारीख से अंतरित किया गया समझा जाएगा।

(3) ऐसे अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार हैं, नियत दिन से ही, यथास्थिति, झारखंड उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(4) झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित होगा जो नियत दिन के ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार की बाबत प्रवृत्त है।

29. पटना उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए आवश्यक उपान्तरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और तदनुसार झारखंड उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियम बनाने और आदेश करने की ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो नियत दिन के ठीक पहले पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं:

परन्तु ऐसे कोई नियम या आदेश जो पटना उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों द्वारा परिवर्तित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिए जाते, झारखंड उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे लागू होंगे मानो वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों।

30. पटना उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी।

31. पटना उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा विशेष आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी।

32. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, एकल न्यायाधीश और खंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में तथा उन शक्तियों के प्रयोग के आनुषंगिक सभी विषयों के संबंध में, नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

33. पटना उच्च न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में, नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, झारखंड उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

34. (1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, पटना उच्च न्यायालय को नियत दिन से, अन्तरित राज्यक्षेत्र के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

(2) नियत दिन से ठीक पूर्व पटना उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस दिन से पूर्व या पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा वादहेतुक उत्पन्न होने के स्थान